

अधिसूचना परिपत्र - दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

“लोकलोक प्राधिकारी के आदेश या उनके नियंत्रण से उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण”

क्र.	वर्ग	दस्तावेज का नाम एवं संक्षिप्त परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी	धारक / नियंत्रणाधीन
1	नियम	म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 की उपधारा (1),(2) और (3), धारा 24 और धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 131 (1), (2), (5), (6) तथा (7) और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003- दि. 30.9.03 को अधिसूचित तथा 1.10.03 से लागू ।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
2	आदेश	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती पाँचों कंपनियों को स्वायत्तता प्रदान किये जाने के संबंध में (दि. 31.5.05 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।	अनुभाग अधिकारी
3	आदेश	प्रदेश में विद्युत चोरी के प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (एक) के अंतर्गत (दि. 16.6.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
4	आदेश	विद्युत चोरी के प्रकरणों में आंकलन हेतु अधिकारियों को निरीक्षण, तलाशी एवं जब्ती के अधिकार (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत आदेश दि. 17.5.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
5	आदेश	विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में किए गए निर्धारण पर अपील की प्रक्रिया (विद्युत	लोक सूचना अधिकारी अथवा	अनुभाग अधिकारी

		अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अंतर्गत अधिसूचना दि. 30.7.04 को जारी)।	सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	
6	आदेश	विद्युत चोरी के प्रकरणों में कम्पाउंडिंग हेतु अधिकारी को अधिकृत किए जाने के संबंध में (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 की उपधारा के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दि. 26.6.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
7	आदेश	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए राज्य शासन की प्रोत्साहन नीति	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
8	अधिनियम	म.प्र. ऊर्जा उपकर अधिनियम, 1981- विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर राज्यशासन द्वारा उपकर लगाने बाबत।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
9	नियम	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 180 की उपधारा(2) के खण्ड (छः) के साथ पठित धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग निधि की स्थापना संबंधी, अधिसूचना (आयोग के बजट, प्रशासकीय व्यय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों से संबंधित)(दि. 6 मई, 2005 को अधिसूचित)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
10	नियम	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग की स्थापना (इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट, 1998 की धारा 17 की उपधारा (1) और (3) के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दि. 18.8.98 को जारी एवं 20.8.98 को अधिसूचित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अंतर्गत मान्य)	तदैव	तदैव

11	आदेश	राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत (आदेश दि. 17.5.04 को जारी)	तदैव	तदैव
12	अधिसूचना	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना दि. 17.5.04 द्वारा म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दि. 1.6.04 से स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी के रूप में अधिसूचित किया गया।	तदैव	तदैव
13	आदेश	अध्यक्ष, म.प्र.राज्य विद्युत नियामक आयोग की अध्यक्षता में राज्य समन्वय फोरम का गठन (विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत (आदेश दि. 17.5.04 को जारी)	तदैव	तदैव
14	अधिसूचना	विद्युत चोरी, विद्युत लाइनों एवं सामग्री की चोरी के प्रकरणों में पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में वाद दायर करने हेतु अधिकृत करने बाबत (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना दि. 21.2.05 को जारी)	तदैव	तदैव
15	अधिसूचना	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को अनुज्ञप्तिधारक के रूप में विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) का कार्य दि. 9 दिसम्बर 2005 तक जारी रखने बाबत (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 (ं) के अंतर्गत अधिसूचना दि. 6 जून 2005 को जारी)	तदैव	तदैव
16	नियम	म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 की उपधारा (1),(2) और (3), धारा 24 और धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) एवं (7) तथा धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (संशोधन) - दि. 13 जून, 2005 को अधिसूचित	तदैव	तदैव
17	नियम	म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (संशोधन)- (प्रोविजनल अवधि की सीमा बढ़ाने बाबत) - दि. 27 दिसम्बर, 04 को अधिसूचित	तदैव	तदैव

18	अधिनियम	म.प्र. विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 - विद्युत प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर राज्य शासन को कर लगाने का अधिकार	तदैव	तदैव
19	अधिनियम	म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्र. 4 सन् 2001) - प्रदेश में विद्युत क्षेत्र सुधार, टैरिफ निर्धारण , विद्युत मंडल के पुनर्गठन से संबंधित- (दि. 20.2.2001 को अधिसूचित एवं 3.7.01 से लागू) ।	तदैव	तदैव
20	आदेश	आगामी रबी सीजन (वर्ष 2005-06) में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के अंतर को देखते हुए लागू किये जाने वाले पुनरीक्षित विद्युत विनियमन के आदेश (आदेश दि.24.9.05 को जारी)	तदैव	तदैव
21	आदेश	बिजली चोरी एवं अनाधिकृत उपभोग के प्रशमन हेतु ली जाने वाली राशि को लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति	तदैव	तदैव